

निर्वाचनों का संचालन नियम 1961
(कानूनी नियम और आदेश)

प्रारूप 21 ग
(नियम 64 देखिए)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा
वल्लभनगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनो का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूँ कि

श्री गजेन्द्र सिंह शक्तावत (नाम)


133, शक्तावत फार्म, गुलाब कॉलोनी, पुलिस स्टेशन के पीछे, भीण्डर, उदयपुर (पता)

इंडियन नेशनल काँग्रेस रजिस्ट्रीकृत राजनीतिक पार्टी का नाम

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक रूप से निर्वाचित हुए हैं।

स्थान: उदयपुर

दिनांक: 11 दिसम्बर 2018


(अनिल कुमार शर्मा)
रिटर्निंग ऑफिसर
विधानसभा क्षेत्र 155 वल्लभनगर
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट

(अनिल कुमार शर्मा)
रिटर्निंग ऑफिसर
विधानसभा क्षेत्र 155-वल्लभनगर
(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट) वल्लभनगर

FORM 21C
(See rule 64)
(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act, 1951.

Election to the Legislative Assembly of Rajasthan State from 155-Vallabhnagar Assembly constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that—

(Name) SHRI GAJENDRA SINGH SHAKTAWAT

(Address) 133, SHAKTAWAT FARM, GULAB COLONY, BEHIND POLICE STATION, BHINDER, UDAIPUR

sponsored by INDIAN NATIONAL CONGRESS (name of the recognized/registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place Udaipur
Date 11 Dec 2018

(Anil Kumar Sharma)
Returning Officer
Assembly Constituency 155-Vallabhnagar

(अनिल कुमार शर्मा)
रिटर्निंग ऑफिसर
विधानसभा क्षेत्र 155-वल्लभनगर
(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट) वल्लभनगर